रजिस्ट्री सं. डी एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

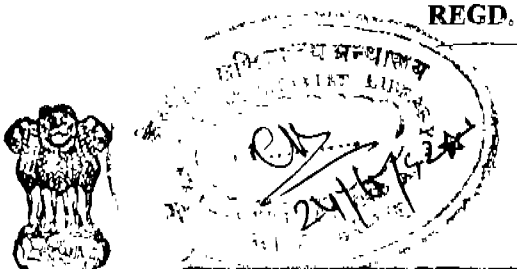

[stamp] 24/1/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1992/पौष 27, 1913
No. 12] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 1992/PAUSA 27, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 267—आई टी सी (पी एन)/90—93

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1992

विषय :- प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 (खण्ड—1) ।

फाइल सं. 12/33/91—ई पी सी—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 2—आई टी सी (पी एन)/90—93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक 1990—93 (खण्ड—1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उक्त प्रक्रिया पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	प्रक्रिया पुस्तक 1990—93 (खण्ड—1) की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	305	परिशिष्ट-21—घ	वर्तमान परिशिष्ट 21-च के बाद परिशिष्ट 21-छ और परिशिष्ट 21-ज जोड़े जाएंगे जैसा कि प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध—1 और उपाबन्ध—2 में निहित हैं ।

3. उपर्युक्त संशोधन सार्वजनिक हित में किए गए हैं ।

ह./-

डी. आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

उपाबंध—1

परिशिष्ट—21-ख

स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत
निष्पादित किए जाने वाले निर्यात आभारों
का क्षतिपूर्ति-सह-गारण्टी बंधपत्र फार्म
(प्रेषित माल की प्रत्येक खेपवार)

(आयातक और गारण्टी देने वाले बैंक, जो एक अनुसूचित बैंक हो, द्वारा कम से कम 15 रुपए मूल्य या किसी ऐसी धनराशि, जो संबंधित राज्य के स्टाम्प कलेक्टर द्वारा निर्धारित हो, के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा) ।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
माध्यम से

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात (जिसमें संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या ऐसा कोई अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी जो उस समय के लिए संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात/उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत हो, शामिल समझे जाएंगे)

वाणिज्य मंत्रालय (पूरा पता) पिन कोड
यह विलेख पहले भाग के पक्षकार

(नीचे दिए गए अनुदेशों के अनुसार आयातक/आयातकर्त्ता फर्म का पूरा-पूरा नाम पूरे पते सहित) (इसके बाद आयातक के रूप में उल्लेख किया जाएगा जिसमें वारिस, उत्तराधिकारियों, प्रशासकों, सरकारी परिसमापक तथा अनुमेय व्यक्तियों को शामिल समझा जाएगा) और;

दूसरे भाग के पक्षकार ----------

(गारण्टीकर्त्ता बैंक का पूरा विवरण, कार्यालय या शाखा के पूरे पते सहित जिससे गारण्टी बंधपत्र निष्पादित किया जा रहा हो) (इसके बाद "गारण्टीकर्त्ता" के रूप में उल्लेख किया जाएगा जिसमें उत्तराधिकारियों अधिकृत परिसमापक तथा प्रशासकों को शामिल समझा जाएगा) द्वारा----------माह----------दिन----------
को निष्पादित किया गया ।

उपर्युक्त नाम के पक्षकार सरकार के लिखित मांग पर सरकार को भुगतान की जाने वाली----------रुपये (अंकों और शब्दों में) की धनराशि के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात वाणिज्य मंत्रालय (जिसमें संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात/उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात या ऐसा कोई अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी जो उस समय के लिए संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत हो, शामिल समझे जाएंगे (जिसे इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) की ओर से भारत के राष्ट्रपति के प्रति संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग रूप में आबद्ध हैं।

जबकि उपर्युक्त नाम वाले आयातक ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस के लिए आवेदन किया है ।

जबकि सरकार ने आयातक को 0.995 शुद्धता का स्वर्ण आयात करने की अनुमति दे दी है और पूर्वोक्त योजना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उक्त मद के लिए----------अमरीकी डालर (अंकों और शब्दों दोनों में) मूल्य का स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस सं.---------- दिनांक----------जारी करने के लिए अब सहमत हो गई है।

और जबकि आयातक माल नामशः 8 कैरेट तथा इससे अधिक के और ----------अमरीकी डालर (यू. एस. में निर्यात आभार का पूरा मूल्य निर्दिष्ट करें) मूल्य के सादे/जड़ित स्वर्ण आभूषण के निर्यात के लिए सहमत हो गया है ।

और जबकि आयातक----------अमरीकी डालर के निर्यात आभार वाले स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार की सहमति को ध्यान में रखकर क्षतिपूर्ति सह-गारंटी "बंधपत्र" प्रस्तुत करने के लिए, सहमत हो गया है। आयातक यहां नीचे निर्दिष्ट निर्यात आभार की धनराशि के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी सहमत हो गया है ।

जबकि गारंटीकर्त्ता उक्त लाइसेंस को जारी करने के लिए सरकार की सहमति को ध्यान में रखकर सरकार की मांग पर गारण्टीशुदा धनराशि का भुगतान करने के लिए सहमत और बचनबद्ध है ।

और जबकि आयातक निर्यात आभार निष्पादित करने तथा---------- अमरीकी डालर में जहाज पर्यन्त निःशुल्क की सीमा तक विदेशी मुद्रा की उगाही करने के लिए सहमत है। लाइसेंस पर पृष्ठांकित आयात के प्रत्येक खेप में पृथक रूप से वह निर्यात आभार होगा जिसे आयातक को नीचे दी गई शर्तों पर 8 कैरेट तथा इससे अधिक के सादे/जड़ित स्वर्ण आभूषण का निर्यात करके स्वर्ण के प्रत्येक खेप की निकासी की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा :—

(क) (1) कि आयातक पहले बताए गए अनुसार प्रत्येक आयात के 120 दिनों के भीतर सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों में 8 कैरेट और इससे अधिक के सादे/जड़ित स्वर्ण आभूषण का निर्यात करके अमरीकी डालर में धनराशि-परेषण के अनुसार प्रत्येक खेप के निर्यात के निर्यात आभार के निर्वहन के लिए अमरीकी डालर में पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा और अमरीकी डालर में विदेशी मुद्रा की उगाही करेगा। भूटान को किए जाने वाले निर्यात से निर्यात आभार में छूट नहीं मिलेगी तथा नेपाल को किए जाने वाले निर्यातों में यदि भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर में) के अलावा अन्य प्रकार से किया जाता है तो निर्यात आभार में छूट नहीं मिलेगी। इस प्रयोजन के लिए अमरीकी डालर में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा को 8 कैरेट तथा इससे अधिक के सादे/जड़ित स्वर्ण आभूषण के निर्यात के परिणामस्वरूप अमरीकी डालर में प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(2) यह कि पूर्वोक्त निर्यात आभार प्रत्येक खेप की निकासी की तारीख से शुरू होगा ।

(ख) यह कि आयातक को जारी किया गया उक्त स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस अहस्तांतरणीय रहेगा ।

(ग) आयात की प्रत्येक खेप की निकासी की अनुमति के पहले आयातक को (0.999 शुद्धता वाले स्वर्ण के अंतर्राष्ट्रीय और वस्तु मूल्य के बीच का अंतर) के बराबर की धनराशि की एक बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी होगी। यदि आयातक यथा-निर्धारित अपने आभार को पूरा नहीं कर पाएगा तो उक्त बैंक गारण्टी पूरी या कमी के बराबर जब्त कर ली जाएगी ।

(घ) यह कि उक्त आयातक इस क्षतिपूर्ति-सह-गारंटी बंध पत्र की शर्तों को पूरा करने में अमरीकी डालर में अर्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में उक्त 120 दिनों की समाप्ति की तारीख

से एक माह के भीतर संबंधित संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को निर्यात साक्ष्य प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा जैसे कि राष्ट्रीकृत या अनुसूचित बैंक के मूल प्रमाणपत्र जिनमें निर्यात आधारों के पूरा करने में उक्त माल के निर्यातों के मद्दे अमरीकी डालर में विदेशी मुद्रा की उगाही दिखाई गई हो और अन्य ऐसे दस्तावेज जो संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा साक्ष्य के रूप में मांगे जाएं।

(क) यह कि निर्यातक आगे सहमत है और वचन देता है कि आयातक द्वारा निर्यात दायित्व अथवा अमरीकी डालरों में विदेशी मुद्रा की पूर्ण अधिप्राप्ति जैसा कि स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों में विहित हैं, को पूरा करने में चूक करने की दशा में सरकार आयातक के खिलाफ आयातित माल को जब्त करने संबंधी कानूनी कार्रवाई कर सकती है और आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के उपबन्धों के अंतर्गत सरकार को प्राप्त अन्य अधिकारों व सरकार द्वारा उपर्युक्त आयात के संबंध में तैयार किए गए अन्य प्रावधानों/नियमों के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। आगे आयातक सहमत है कि जब्तिकरण कार्यवाही सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर निर्यात दायित्व अवधि के पूर्व अथवा इसके पूरा होने के बाद शुरू की जा सकती है।

(ख) यह कि आयातक इससे आगे सहमत है और वचन देता है कि कोई भी चूक करने पर वह आयात-निर्यात नीति/प्रक्रिया पुस्तक के और आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 व इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी दण्डात्मक उपबन्धों का पालन करेगा जो उनके खिलाफ चूक करने की स्थिति में सरकार के लागू किए निर्णय के अनुसार किये जा सकते हैं; सरकार का यह निर्णय आयातक पर अन्तिम और बाध्यकर होगा।

अब उपर्युक्त बन्धपत्र की शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(1) यह कि आयातक सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के तहत सभी दायित्वों में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा आयात लाइसेंस में और इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अन्य विहित शर्तों का इमानदारी से अनुपालन करेगा।

(2) यह कि हम गारन्टीकर्त्ता बैंक एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से यह वचन देते हैं और गारंटी देते हैं कि यदि आयातक लाइसेंस में दी गई शर्तों सहित स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत दायित्वों को पूर्णतः अथवा अंशतः पूरा करने में असफल रहता है अथवा यदि आयातक लाइसेंस की शर्तों और आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी देने में असमर्थ रहता है अथवा आयातक लाइसेंस/योजना आदि में विनिर्दिष्ट ऐसी किसी भी शर्त को पूर्ण करने में असफल रहता है जिसके कारण उक्त धनराशि पूरी अथवा इसके भाग के रूप में सरकार द्वारा लिखित रूप में मांग की जाए तो हम गारण्टीदाता कोई भी आपत्ति किए बिना और आयातक को सूचित किए बिना सरकार को अथवा इस संबंध में सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सरकार द्वारा आयातक से मांगी गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेंगे और—————— रुपए की अधिकतम धनराशि के भुगतान की गारंटी की क्षतिपूर्ति भी करेंगे।

(3) यह कि आयातक के विरुद्ध प्रत्यक्षतः किसी अधिकार के होते हुए भी और आयातक के द्वारा किसी भी रूप में उठाए गए किसी विवाद के होते हुए भी सरकार लिखित मांग में गारंटी देने वाले बैंक को इस संबंध में आवश्यक ब्यौरा दिया जाएगा कि उपर्युक्त लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत जिसमें ऊपर विनिर्दिष्ट शर्तें भी शामिल हैं, गारंटी देने वाले से भुगतान की मांग की जाती है और सरकार द्वारा की गई ऐसी मांग गारंटी देने वाले बैंक के लिए अंतिम और बाध्यकर होगी।

(4) यह कि सरकार और आयातक के बीच किसी प्रकार की व्यवस्था होने से परिवर्तन होने से आयातक की स्वीकृति अथवा जानकारी अथवा आयातक के दायित्वों में किसी परिवर्तन सहित या इनके बिना सरकार द्वारा आयातक पर किसी प्रकार के अनुग्रह अथवा आयातक के दायित्वों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से अथवा भुगतान समय सीमा, निष्पादन के संबंध में किसी भी प्रकार के स्थगन अथवा अन्य किसी भी स्थगन के कारण गारंटीदाता बैंक इस वचनपत्र तथा गारंटी से रिहा अथवा निमुक्त नहीं किया जाएगा।

(5) यह कि गारंटीकर्त्ता बैंक द्वारा दी गई यह गारंटी तब तक वैध और पूर्ण रूप से लागू रहेगी जब तक कि ऊपर विशिष्टिकृत शर्तों सहित उपरोक्त लाइसेंस के अधीन सभी दायित्वों का निर्वहन सरकार की पूर्ण तुष्टि के अनुसार नहीं हो जाता और उक्त तुष्टि की सूचना सरकार द्वारा गारंटीकर्त्ता बैंक को नहीं दे दी जाती।

(6) यह कि आयातक द्वारा ऊपर नामित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और गारंटीकर्ता बैंक द्वारा दी गई गारंटी सतत क्षतिपूर्ति सह-गारंटी बंधपत्र होंगी और इन्हें आयातक के या गारंटीकर्ता बैंक के विधान में किसी प्रकार के परिवर्तन होने से निर्मुक्त नहीं किया जाएगा। आगे इसे आयातक और गारंटीकर्ता बैंक द्वारा दिये गए इस क्षतिपूर्ति सह-गारंटीबंध पत्र से यह अधिकार सुरक्षित किया जाता है कि सरकार या सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित मांग प्राप्त होने पर इस क्षतिपूर्ति सह-गारंटी बंध पत्र के अधीन गारंटीकर्ता बैंक द्वारा सरकार को उसी समय भुगतान करना होगा।

(7) यह कि यदि आयातक वचन दिए गए निर्यात दायित्व को पूर्ण करने में या अपरोक्तानुसार विदेशी मुद्रा की वसूली में असमर्थ रहता है तो उक्त आयातक, संबंधित संयुक्त उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली के अनुदेश पर सरकार मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात सहित) द्वारा नामित की जाने वाली किसी भी एजेंसी को किसी भी रूप में विक्रय के लिए उसके पास बचे बिना उपयोग किए हुए आयातित माल को और ऐसी बिक्री से अर्जित राशि को उक्त द्वारा किए गए अन्य-अन्य खर्चों और सामान्य दलाली काटने के बाद निर्यात दायित्व की पूर्ति के रूप में सरकार के पास जमा कराएगा। उक्त मूल्य के बारे में ऐसी एजेंसी का निर्णय अंतिम और आयातक पर बाध्यकारी होगा।

(8) यह कि आयातक आगे यह वचन देता है कि उक्त राशि के अतिरिक्त ऊपर संबंधित आयात लाइसेंस के मूल्य के समतुल्य राशि को या उक्त लाइसेंस के मद्दे

आयात किए गए माल की सीमा तक इनमें जो भी अधिक है, के साथ-साथ सरकार को----------की अदायगी द्वारा भुगतान करेगा और संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात/उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का निर्णय अंतिम और आयातक के लिए बाध्यकारी होगा ।

(9) यह कि ऊपर नामित आयातक और गारंटीकर्ता बैंक द्वारा इस क्षतिपूर्ति सह-गारंटी बंधपत्र का निष्पादन लोकहित से संबंधित कार्य के लिए किया गया है ।

(10) यह कि इस क्षतिपूर्ति सह-गारंटी बंधपत्र के तहत सरकार द्वारा गारंटीकर्ता बैंक से मांगी गई राशि के भुगतान का ऐसी किसी अन्य कार्रवाई के लिए आयातक की जिम्मेदारी पर प्रभाव नहीं होगा जिसमें आयातित माल की जब्ती के लिए कानूनी कार्रवाई आरम्भ करने सहित आगे लाइसेंस न देने तथा यथासंशोधित आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के प्रावधानों के तहत अन्य सभी जिम्मेदारियों तथा जुर्मानों और परिणाम संबंधी आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के तहत सरकार द्वारा निर्णीत सभी कार्रवाई शामिल है ।

(11) यह कि क्षतिपूर्ति-सह-गारंटी बंधपत्र में निहित आयातक अथवा गारंटीकर्ता बैंक के सभी दायित्व तार्किकानुसार सरकार की पूर्ण और अंतिम तुष्टि तक पूरे हो जाने और सरकार द्वारा गारंटीकर्ता बैंक को इसकी सूचना दे देने के बाद उपर्युक्त क्षतिपूर्ति-सह-गारंटी बंधपत्र निरस्त हो जाएगा ।

(12) यह कि क्षतिपूर्ति सह-गारंटी बन्धपत्र और इसमें निहित आयातक और गारंटी देने वाले बैंक के दायित्व 2 वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः लागू रहेंगे और यदि उपर्युक्त अवधि में आयातक के सभी दायित्व सरकार की तुष्टि के अनुसार पूर्ण रूप से और अन्तिम रूप से विधिवत् निष्पादित नहीं होते हैं तो गारंटी देने वाला बैंक और आयातक इस क्षतिपूर्ति-सह-गारंटी बन्धपत्र की वैधता की अवधि को सरकार द्वारा अपेक्षित आगे बढ़ाने के लिए पुनः नवीकरण करने और पुनः लागू करने के लिए सहमत हैं और वचन देते हैं। इस बन्धपत्र पर उपर्युक्त नाम की पार्टियों के साक्ष्य में उपर्युक्त नाम के आयातक और गारंटी देने वाले बैंक द्वारा आज----------दिन----------199 , को हस्ताक्षर किए गए, सील लगाई गई और निम्नलिखित की उपस्थिति में सुपुर्द किया गया ।

*साक्ष्य :

1.---------- 1.---------- (आयातक/आयातक फर्म का पूरा और विस्तृत ब्यौरा)

(प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित/अभिपुष्ट किया जाए)

2.----------

1.---------- 2.---------- (गारंटी देने वाले बैंक का पूरा और विस्तृत ब्यौरा)

राष्ट्रीय बैंक अनुसूचित बैंक की ओर से प्राधिकृत बैंक का अधिकारी और बैंक की सील सहित

टिप्पणी

आयातक और बैंक के लिए :

1. यदि आयातक मूल स्वामित्व की फर्म हो तो क्षतिपूर्ति-सह-गारंटी बन्धपत्र उपर्युक्त स्वामित्व की फर्म के मूल स्वामी द्वारा निष्पादित किया जाए जिसमें उसका पूरा स्थायी पता हो।

2. यदि आयातक भागीदारी वाली फर्म हो तो क्षतिपूर्ति-सह-गारंटी बन्धपत्र भागीदारी विलेख विनिर्दिष्ट समस्त भागीदारों अथवा प्रबन्ध-भागीदारों के माध्यम से भागीदारी फर्म के नाम में निष्पादित किया जाए।

3. यदि आयातक लिमिटिड कम्पनी हो तो क्षतिपूर्ति-सह-गारंटी बन्ध पत्र लिमिटिड कम्पनी के कार्यकारी निदेशक अथवा प्रबन्ध-निदेशक द्वारा निष्पादित किया जाए और उस पर कम्पनी की सील भी लगाई जाए।

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

उपाबन्ध 2

परिशिष्ट 21-ज

स्वर्ण अग्रवाय लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

(सादे स्वर्ण आभूषणों और जड़ित स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए अलग-अलग भेजा जाए)

1. आवेदक का नाम और पता

2. उद्योग का नाम :

(1) फैक्टरी का पता और स्थान

(2) उसमें विनिर्मित अन्तिम उत्पाद का नाम

3. व्यापार संस्था का स्वरूप क्या यह पब्लिक कम्पनी अथवा प्राइवेट लि. कम्पनी है अथवा भागीदारी व्यापार संस्था है ।

4. निदेशकों, भागीदारों, प्रोप्राइटरों अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार के नाम, जैसा भी मामला हो ।

5. क्या आप विनिर्माता निर्यातक/व्यापारी निर्यातक/निर्यात गृह/व्यापार गृह/स्टार व्यापार गृह हैं ?

6. (1) निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य वस्तु बोर्ड/एफ आई ओ द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख और वह तारीख जिस तक वह वैध हो

(2) उत्पाद ग्रुप जिसके लिए पंजीकृत है

7. यदि निर्यात गृह / व्यापार गृह/स्टार व्यापार गृह है तो निर्यात गृह/व्यापार गृह/स्टार व्यापार गृह प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख का उल्लेख करें और वह तारीख भी दें जब तक यह वैध हो।

8. यदि विनिर्माता निर्यातक है तो निम्नलिखित द्वारा आवंटित पंजीकरण संख्या;

(1) तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची-बद्ध फर्मों के मामले में तकनीकी विकास महानिदेशालय

(2) लघु और कुटीर यूनिटों के मामले में उद्योग सहायक निदेशक

(3) विनिर्माता के रूप में यूनिट को पंजीकृत करने में सक्षम कोई अन्य प्राधिकरण

9. आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संख्या और तारीख
(मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट नत्थी करें)

10. (1) प्रार्थित लाइसेंस का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य

(2) आयात किए जाने वाले माल का ब्योरा

11. क्या आवेदन पत्र किसी विशिष्ट निर्यात आदेश के लिए है? यदि हां, तो उल्लेख करें :

(1) निर्यात आदेश (आदेशों) द्वारा कवर की गई निर्यात की मदें (निर्यात आदेश की प्रति संलग्न करें)

(2) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य

(3) विदेशी खरीदार का नाम और पता तथा निर्यात के देश का नाम

(4) निर्यात आदेश (आदेशों) द्वारा कवर किये गये निर्यात उत्पाद (उत्पादों) की डिलिवरी अवधि

(5) भुगतान की विधि का उल्लेख

(6) आवेदन पत्र द्वारा कवर किए गए निर्यात पर विदेशी एजेन्ट को भुगतान किए गए अथवा किए जाने वाले कमीशन अथवा डिस्काउन्ट की राशि

12. पूर्व निष्पादन :—

(1) पूर्ववर्ती निर्यातों का विवरण/निम्नलिखित ब्योरा देते हुए विवरणी संलग्न करें :—

(क) पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में (प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग) स्वर्ण सादे/जड़ित आभूषणों का ब्योरा

(ख) निर्यात का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (ऊपर (1) के संबंध में उत्पादवार
(प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग)

(ग) निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित है।

(घ) आवेदक द्वारा उसी उत्पाद के निर्यात किए गए उत्पाद के अद्यतन निर्यात का यूनिट मूल्य (निर्यात की तारीख भी दें)

(2) क्या इससे पूर्व कोई स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस जारी किया गया था।

(3) यदि हां, तो क्या लाइसेंस के मदें निर्यात दायित्व अभी भी पूरा करना बकाया है।

(4) यदि निर्यात आभार पूर्णतया या आंशिक पूरा किया जाना हो तो कृपया निम्नानुसार उनका ब्यौरा दें :—

(क) लाइसेंस सं. तथा तारीख

(ख) लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

(ग) निर्यात आभार पूरा करने के लिए अनुचित समय सीमा

(घ) निर्धारित किए गए निर्यात आभार का लाइसेंसकार मूल्य

(ङ) प्रत्येक लाइसेंस के मदें पहले से पूरा किए गए निर्यात आभार का मूल्य

(च) निर्यात आभार पूरा न करने के कारण।

(5) अप्रयुक्त स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंसों का कुल लागत बीमा-भाड़ा मूल्य जिसके मदें आयात न किए गए हों।

(6) स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंसों का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य जिसके लिए आयात आवेदन पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के पास लम्बित पड़े हों।

घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि यह लाइसेंस प्रदान किया जाता है तो माल का प्रयोग केवल कच्चे माल के रूप में उपभोग के लिए किया जाएगा।

2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उक्त कथन मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं ठीक है। मैं/हम पूर्णतः जानता हूं/जानते हैं कि यदि यह पाया जाए

कि कोई भी विवरण या उसमें दिए गए तथ्य गलत या झूठे हैं तो दिए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें मंजूर किया गया कोई भी लाइसेंस निरस्त किया जाए या ऐसे किसी जुर्माने, जो सरकार लगा सके या अन्य कोई भी कार्रवाई जो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए की जा सके, के अतिरिक्त लाइसेंस निष्प्रभावी कर दिया जाए

हस्ताक्षर ————————————————

नाम बड़े अक्षरों में ————————————

पदनाम ————————————————

पूरा आवासीय पता ————————————
————————————

स्थान————————
दिनांक————————

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 267-ITC (PN)/90-93

New Delhi, the 17th January, 1992

Subject : Hand Book of Procedures, 1990-93 (Vol. I).

File No. 12/33/91-E PC.—Attention is invited to the Hand Book of Procedures, 1990-93 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2 ITC(PN)/90-93 dated the 30th March, 1990 as amended.

2. The following amendments shall be made in the said Hand Book at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Handbook of Procedures, 1990-93 (Vol I)	Reference	Amendments
1	2	3	4
(1)	305	Appendix XXI-F	After the exsiting Appendix XXI-F, Appendix XXI-G and Appendix XXI, H as contained in Annexe-I and Annexe-II to this Public Notice, shall be added.

3. The above amendments have been made in public interest.

D. R. MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports

ANNEXURE-I

APPENDIX XXI-G

INDEMNITY-CUM-GUARANTEE BOND FORM OF EXPORT OBLIGATIONS TO BE EXECUTED UNDER THE GOLD IMPREST LICENSING SCHEME (EACH CONSIGNMENT-WISE).

(To be executed by the importer and guarantor bank which should be a scheduled bank, on a non-judicial stamp paper of minimum value of Rs. 15 or any amount as may be prescribed by the Stamp Collector of the respective State).

To

The President of India,
Through

The Chief Controller of Imports & Exports (which expression shall be deemed to include the JCCI&E|DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E|DCCI&E).

Ministry of Commerce, (Full Address), Pin Code.

This DEED Executed on———day ————of Month———. By ———————— (full expanded name of the importer|importer-firm with complete address, as per the instructions given below) (hereinafter referred to as 'importer' which expression shall be deemed to include the heirs, successors, administrators, official liuidator and permitted assigns) party of first part and ;

————————(full expanded description of the Guarantor Bank with complete address of the office or Branch from which the Guarantee Bond is being executed) (hereinafter referred to as 'Guarantor' which expression shall be deemed to include the successors, official Liquidator and administrators) party of the second part.

The above named parties are jointly and severally held and firmly bound to the President of India acting through the Chief Controller of Imports and Exports, Ministry of Commerce (which expression shall be deemed to include the JCCI&E|DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E|DCCI&E) (hereinafter called the 'Government') for the sum of Rs. ———————— (in figures and words) to be paid to the Government on written demand of the Government.

Whereas the above named Importer has applied for a Gold Imprest Licence under the Gold Imprest Licensing Scheme notified by the Govt. of India.

Whereas the Government has permitted the Importer to import gold of 0.995 fineness and has agreed to issue the Gold Imprest Licence No ———— dated————for a value of US$———— (both in figures and words) for the import of the said item on the terms and conditions specified in the aforesaid scheme.

And whereas the Importer has agreed to export the goods, namely, Plain*|Studed Gold Jewellery of 8 carats and above and of the value US $———— (indicate the full alue of export obligation in US $).

And whereas the Importer has agreed to furnish an Indemnity-cum-Guarantee Bond in consideration of the 'Government' agreeing to issue the Gold Imprest Licence with an export obligation of US $ ————. The Importer has also agreed to earn foreign exchange equivalent to the amount of export obligation mentioned hereinbelow.

Whereas the Guarantor has agreed and undertaken to pay the guaranteed amount on demand by the Government in consideration of the Government agreeing to the issue of the above licence.

And whereas the importer has agreed to perform the export obligation and realise foreign exchange to the extent of US $ ———— FOB. Each consignment of import endorsed on the licence will individually carry an export obligation which the importer will have to fulfil within a period of 120 days from the date of clearance of each consignment of gold by exporting Plain*|Studded* Gold Jewellery of 8 carat and above on the conditions given below :—

(a) (i) That the importer will earn foreign exchange in US $ sufficient to discharge export obligation according to the remittances in US $ of each consignment by exporting Plain*|Studded** Gold Jewellery of 8 carat and above to GCA countries within a period of 120 days of each importation as aforesaid and realise foreign exchange in US $. Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation and exports to Nepal if made otherwise than against payment in free foreign exchange (in US $) will not qualify for redemption of export obligation. Foreign exchange earned in US $ for the purpose is defined as foreign exchange in US $ inflow as a result of exporting Plain*|Studded* Gold Jewellery of 8 carat and above.

(ii) That the aforesaid export obligation will start from the date of clearance of each consignment.

(b) That the said Gold Imprest Licence issued to the importer shall be non-transferable.

(c) Before clearance of each consignment of import is allowed, the importer shall furnish a bank guarantee for an amount equal to Rs. ———— (the difference between the international and domestic price of gold of 0.999 fineness). The said bank guarantee will be liable to be forfeited in full or equivalent to the shortfall if the importer does not meet their obligation as stipulated.

(d) That the said Importer shall deliver or caused to be delivered to the concerned Joint|Deputy Chief Controller of Imports & Exports within one month from the date of expiry of the aforesaid 120 days export evidence such as certificates from Nationalised or Scheduled Bank in original showing realisation of foreign exchange in US $ against exports of above mentioned goods in fulfilment of the export obligations and such other documents as may be demanded by the Jt.|Dy. Chief Controller of Imports and Exports as evidence, in support of the foreign exchange earned in US $ in fulfilment of the terms of conditions of this Indemnity-cum-Guarantee Bond.

(e) That the importer further, agrees and undertakes that in the event of the improter's default in meeting the export obligation or realisation of foreign exchange in US $ in full as set out in the conditions as specified under the Gold Imprest Licensing Scheme the importer would be liable to the Government instituting legal action against them for confiscation of the imported material and other rights available to the Government under the provisions of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 and other provisions|rules formulated by the Govt. relating to the said import. The importer further agrees that the confiscation proceedings may be initiated by the Government at any time before or after the completion of export obligation period.

(f) That the importer further agrees and undertakes to abide by all the penal provisions of the Import & Export Policy|Hand Book of Procedures as also under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 and Rules framed thereunder to be invoked against them in case of default as may be decided by the Govt., which decision shall be final and binding on the importer.

Now, the conditions of the above bond are as follows :—

(i) That the importer shall faithfully comply with all the obligations under the scheme notified by the Government and conditions specified in the import licence and other stipulation specified hereinabove.

(ii) That the Guarantor Bank, do hereby expressly and irrevocably undertake and guarantee that if the Importer fails to fulfil the whole or part of the obligations under the Gold Imprest Licensing Scheme including the conditions stipulated on the licence or if the importer is not able to furnish any information required under the terms and conditions of the licence and the Rules

framed under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order as amended or the rules framed thereunder or if there is any other failure of any kind whatsoever on the part of the Importer under the terms specified in the licence| scheme etc. whereby the said amount be demanded by the Government in whole or in part for any reason whatsoever, on the written demand of the Government, we the Guarantor Bank, shall forthwith without any demur and without reference to the Importer pay to the Government or to any officer authorised by the Govt. in this behalf any sum demanded by the Govt. from the Importer and also indemnify to Guarantee the payment upto maximum of Rs.————————.

(iii) That notwithstanding any right, Government may have directly against the Importer or notwithstanding any dispute raised by the Importer in any form, the Government's written demand shall state necessary details to the Guarantor Bank that the payment is demanded from the Guarantor Bank, under the terms and conditions of the aforesaid licence including the terms specified hereinabove and such demand by the Government shall be final and binding upon the Guarantor Bank.

(iv) That the Guarantor Bank, shall not be discharged or released from this undertaking and the Guarantee by any arrangement, variations between the Govt. and the Importer, any indulgence to the Importer by the Govt. with or without the consent or knowledge or any alteration in the obligations of the importer, or any forbearance whether as to a payment, time, performance or otherwise.

(v) That this Guarantee by the Guarantor Bank shall remain valid and in full force until all the obligations under the aforesaid licence including the terms as specified above are duly accomplished to the full satisfaction of the Government and till the said satisfaction is reported by the Government to the Guarantor Bank.

(vi) That the above named Indemnity Bond by the Importer and the Guarantee by the Guarantor Bank shall be continuing Indemnity-cum-Guarantee Bond and shall not be discharged by any change in the constitution of the Importer or of the Guarantor Bank. It is further indeminified by this Indemnity-cum-Guarantee Bond by the importer and Guarantor Bank that the payment by the Guarantor Bank to the Govt. under this Indemnity-cum-Guarantee Bond shall be made forthwith on the receipt of the written demand of the Govt. or any officer authorised by the Government in this behalf.

(viii) That in the event of the importer not being able to fulfil the export obligation undertaken by it or realise the foreign exchange as aforesaid, the said Importer shall on the instructions of the concerned Joint|Deputy Chief Controller of Imports & Exports, or the Chief Controller of Imports & Exports, New Dtlhi hand over to any agency as the Government (including CCI&E) may nominate the imported material left unutilised with the Importer for disposal in any manner and the amount so receverd by such sale shall be deposited with the Government towards the fulfilment of the export obligation after deducting the normal commission and other expenses incurred by the said agency. The decision of such Agency as to the said price would be final and binding on importer.

(viii) The Importer further undertakes to pay in addition simultaneously a sum equivalent to the value of import licence referred to above or to the extent of goods imported against the said licence whichever is higher by way of liquidated damages to the Govt. and tre decision of JCCI&E|DCCI&E shall be final and binding on the Importer.

(ix) That this Indemnity-cum-Guarantee Bond is executed by above named Importer and the Guarantor Bank for the purpose of an act involving public interest.

(x) That the payment of the amount demanded by the Govt. under this Indemnity-cum-Guarantee Bond from the Guarantor Bank will not affect the liability of the Importer to any other action including the initiation of legal proceedings for confiscation of the imported material and refusal of further licences and all other liabilities and penalties and the consequences under the provisions of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, Imports (Control) Order of 1955 as amended that may be decided by the Government under the Import Trade Control Regulations.

(xi) That the above named Indemnity-cum-Guarantee Bond shall be void after all the obligations of the Importer or the Guarantor Bank herein are fulfilled to the full and final satisfaction of the Government as specified above and when such satisfaction is communicated to the Guarantor Bank by the Government.

(xii) That the Indeminity-cum-Guarantee oBard and the obligations of the Importer and the Guarantor Bank thereunder shall remain in full force for a period of 2 years and if all the obligations of the Importer are not duly discharged to the full and final satisfaction of the Government in the said period, the Guarantor Bank and the Importer agree and undertake to renew and revive the period

of validity of this Indeminity-cum-Guarantee Bond for a further period as may be required by the Government.

In witness whereof the above named parties hereto have duly executed this bond on this———— day of ———————— 199, signed, sealed and delivered by the above named Importer and the Guarantor Bank in the presence of :—

Witnesses*

1.———— 1. ————(full and expanded description of the Importer/importer firm).

2.———— (To be authenticated/affirmed by Ist class Magistrate/Notary public)

1.———— 2 ————(full and expanded description of the Guarantor Bank)

2.———— ———— for and on behalf of the Notisnalised/Scheduled Bank by the authorised officer of the Bank with the Seal of the Bank.

NOTE

For the Importer and the Bank :

1. If the importer is a sole proprietory firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed by the sole proporietor of the said sole proprietory firm along with his permanent complete address.

2. If the importer is a partnership firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed in the name of the partnership firm through all the partners or managing partners as may be specified in the partnership deed.

3. If the importer is a limited Company, the Indemnity-cum-Guarantee Bond should be executed by the Executive Director or Managing Director of the Limited Company with the seal of the Company.

(*Delete whichever is not applicable).

ANNEXURE-II

APPENDIX-XXI-H

FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF GOLD IMPREST LICENCE

(To be submitted separately for export of Plain Gold Jewellery and Studded Gold Jewellery).

PART-I

Name and address of the Applicant.

2. Name of Industry :

(i) Address & Location of Factory.

(ii) End-products manufactured therein.

3. Nature of the concern, whether, Public Company or Private Ltd. Company or Partnership or Proprietorship Concern.

4. Name of directors, partners, Proprietors or Karta of the Hindu Undivided family as the case may be.

5. Are you a manufacturer exporter| merchant exporter|Export House| Training House|Stor Trading House,

6. (i) No. & date of Registration certificate issued by the Export Promotion Council| Commodity Board|FIED and date upto which it is valid.
(ii) FOB value. Product-group for which registered.

7. If Export House|Trading House|Star Trading House and inidcate No. & Dare of Export House|Trading House|Star Trading House certificate and the date upto which it is valid.

8. If manufacturer exporter, give Registration No. allotted by :

(i) DGTD in the case of firms borne on the list of DGTD.

(ii) State Director of Industries in the case of SSI Units.

(iii) Any other authority competent to register a unit as a manufacturer.

9. Bank Receipt|Demand Draft, No. & Date towards payment of application fee (Bank receipt|demand draft to be attached in original).

10. (i) CIF Value of licence applied for.
(ii) Description of the materials sought to be imported.

11. Is the application against a specific export order? If yes, indicate :

(i) Items of export covered by the export order(s) (Attach copy of export order).

(ii) FOB value.

(iii) Name and address of foreign buyer and the country of export.

(iv) Delivery period of export product(s) covered by the export order(s).

(v) Indicate mode of payment.

(vi) Amount of Commission or discount paid or payable to the foreign agent on exports goverened by the application.

12. Past Performance :—

(i) Particulars of previous exports. Attach statement giving the following particulars :—

(a) Description of Gold Plain|Studded Jewellery exported during the preceding three licensing years (separately for each year).

(b) F.O.B. value of exports, (productwise in respocet of (i) above) (separately for each year)

(c) FOB value of the product to be exported for which the licence is required.

(d) Unit value of the latest exports of the same product exported by the applicant (the date of export also).

(ii) Was any Gold Imprest Licence issued in the past ?

(iii) If so, whether the export obligation against the licence is still outstanding.

(iv) If the export obligation either in part or in full remains to be completed, please give the particulars of the same as under:—

(a) Licence number and date

(b) Name of the licence issuing authority.

(c) Time limit allowed for fulfilling the export obligation

(d) Licence-wise value of the export obligation fixed

(e) value of the export obligation already fulfilled against each licence.

(f) Reasons for not fulfilling the export obligation.

(v) Total CIF value of unutilised Gold Imprest Licences against which imports have not been made.

(vi) Total c.i.f. value of Gold Imprest licences for which import applications are pending with the licensing authorities.

DECLARATION

1. I|we hereby declare that if this licence is granted, the goods will be utilised only for consumption as raw materials.

2. I|we hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my|our knowledge and belief. I|we fully understand that any licence granted to me|us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or being made ineffective in addition to any penalty that the Govt. may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Signature ———————

Name in Block Letters ———————

Designation ———————

———————

———————

Full Residential Address ———————

———————

———————

Place ———————

Date ———————

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992